

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायपीठ: माननीय श्री यतींद्र सिंह, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री प्रीतिकर दिवाकर, न्यायमूर्ति

कर प्रकरण क्रमांक 68 / 2012

अपीलार्थीगण

भारत संघ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-छ के तहत अपील)

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आदित्य भट्टाचार्य एवं डॉ. सौरभ कुमार पांडेय, अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 22 अप्रैल 2013)

1. यह कर अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे आगे 'उत्पाद शुल्क अधिनियम' कहा गया है) की धारा 35-छ के तहत, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (जिसे आगे 'अधिकरण' कहा गया है) के दिनांक 06.03.2012 के आदेश के विरुद्ध है। अधिकरण ने मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे 'निर्धारिती' कहा गया है) की अपील को यह निर्धारित करते हुए स्वीकार किया था कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 (जिसे आगे



'2004-नियम' कहा गया है) के नियम 6 के उप-नियम (6)(i) का प्रतिस्थापन भूतलक्षी प्रभाव रखता है और नियमों के बनने की तिथि से लागू है।

2. इस अपील में मुख्य प्रश्न निम्नलिखित है:-

'क्या 2004-नियम के प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i) द्वारा प्रदान किया गया लाभ इसके प्रतिस्थापन से पूर्व की तिथि पर प्राप्त किया जा सकता है अथवा अन्य शब्दों में, क्या प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i) भूतलक्षी है या नहीं'।

3. 2004-नियम का नियम 6 (देखें **परिशिष्ट-1**) शुल्क-मुक्त और शुल्क-योग्य माल के निर्माता पर विभिन्न दायित्व अधिरोपित करता है:-

* 2004-नियम के नियम 6 के उप-नियम (2) {उप-नियम 6(2)} के तहत, ऐसे निर्माता के लिए शुल्क-योग्य माल के निर्माण में उपयोग हेतु इनपुट और इनपुट सेवा की प्राप्ति, उपभोग और इन्वेन्ट्री के लिए अलग खाते रखना आवश्यक है;

* 2004-नियम के नियम 6 के उप-नियम (3) {उप-नियम 6(3)} के तहत, यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो निर्माता को शुल्क-मुक्त माल की कुल कीमत की एक निश्चित राशि का भुगतान करना आवश्यक है;

* 2004-नियम के नियम 6 का उप-नियम (6) {उप-नियम 6(3)} कुछ आकस्मिकताओं में 2004-नियम के उप-नियम 6(1) से 6(4) के प्रवर्तन से छूट देता है।

4. आरंभ में जब 2004-नियम निर्मित किए गए थे, तब उप-नियम 6(6)(i) ने विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 (जिसे आगे 'सेज-अधिनियम' कहा गया है) के तहत स्थापित विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज) की इकाइयों को भेजे गए माल पर उप-नियम 6(1) से 6(4) के प्रवर्तन से छूट दी थी।

5. तत्पश्चात्, उप-नियम 6(6)(i) में संशोधन किया गया और सेनवैट क्रेडिट (तृतीय संशोधन) नियम, 2008 (देखें **परिशिष्ट-2**) द्वारा नया उप-नियम 6(6)(i) प्रतिस्थापित किया गया। 2004-नियम के प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i) द्वारा न केवल इकाई को बल्कि विकासकर्ता को भेजे गए माल को भी 2004-नियम के उप-नियम 6(1) से 6(4) के प्रवर्तन से छूट प्रदान की गई थी।

6. देश के विभिन्न हिस्सों में निजी उद्यमों के साथ विशेष आर्थिक ज़ोन विकसित किए जा रहे हैं। एक विशेष आर्थिक ज़ोन कोच्चि में है। मेसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, मुंद्रा और मेसर्स



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके सह-विकासकर्ता हैं। एक अन्य विशेष आर्थिक ज़ोन कोयंबटूर टाइडल पार्क में है और मेसर्स बिलिमोरिया एंड कंपनी लिमिटेड इसके सह-विकासकर्ता हैं।

7. निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे 'उत्पाद शुल्क-टैरिफ अधिनियम' कहा गया है) के अध्याय 72 और 73 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में संलग्न है। यह शुल्क-योग्य और शुल्क-मुक्त दोनों प्रकार के माल का निर्माण करता है और इसने अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 तक कोच्चि और कोयंबटूर के विशेष आर्थिक ज़ोन के सह-विकासकर्ताओं को इनकी आपूर्ति की थी। हालांकि, इसने न तो उप-नियम 6(2) के तहत अनिवार्य रूप से अलग खाते बनाए रखे और न ही इसने 2004-नियम के उप-नियम 6(3)(ख) के तहत शुल्क-मुक्त माल के मूल्य का 10% भुगतान किया।

8. न्यायनिर्णायक अधिकारी ने दिनांक 19.11.2009 और दिनांक 02.12.2009 को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए कि 2004-नियम के उप-नियम 6(3)(ख) के तहत शुल्क-मुक्त माल के कुल मूल्य का 10% ब्याज और अर्थदंड सहित उनसे वसूल क्यों न किया जाए।

9. निर्धारिती ने इसके विरुद्ध अपनी आपत्ति प्रस्तुत की और दावा किया कि उसने कोच्चि और कोयंबटूर के विशेष आर्थिक ज़ोन के विकासकर्ताओं को माल की आपूर्ति की थी और 2004-नियम के नवनिर्मित प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i) के तहत, वह 2004-नियम के उप-नियम 6(1) से 6(4) के प्रवर्तन से मुक्त था।

10. न्यायनिर्णायक अधिकारी ने दिनांक 07.06.2011 के अपने आदेश द्वारा निर्धारिती की आपत्ति को यह अवधारित करते हुए खारिज कर दिया कि:

- * सुसंगत समय पर, विशेष आर्थिक ज़ोन के विकासकर्ताओं के माल की निकासी 2004-नियम के उप-नियम 6(6)(i) के तहत आच्छादित नहीं थी;
- * प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i) भविष्यलक्षी था;
- * निर्धारिती इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

11. पूर्वोक्त निष्कर्षों पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी ने ₹72,28,050/- की मांग की पुष्टि की और उस पर ब्याज के साथ-साथ उतनी ही राशि का अर्थदंड भी अधिरोपित किया।

12. निर्धारिती ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। इसे दिनांक 06.03.2012 को यह अवधारित करते हुए स्वीकार कर लिया गया कि 2004-नियम का प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i)



भूतलक्षी था। अतः, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग (जिसे आगे 'विभाग' कहा गया है) द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

अंतर्वलित प्रश्न

13. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना। यह प्रकरण दिनांक 30.10.2012 को निम्नलिखित विधि के प्रश्नों पर विचारार्थ स्वीकार किया गया था:

(i) क्या अधिकरण ने संशोधन अधिसूचना क्रमांक 50/2008 दिनांक 31.12.2008 को भूतलक्षी मानने में त्रुटि की है, जबकि उक्त अधिसूचना स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी?

(ii) क्या दिनांक 31.12.2008 से पूर्व विशेष आर्थिक ज़ोन विकासकर्ताओं को की गई आपूर्ति को भी नियम 6(3)(ख) के प्रयोजन के लिए शुल्क-मुक्त माल माना जा सकता है और आगे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(18) के साथ-साथ 2004-नियम के नियम 6(6) के खंड (v) के तहत निर्यात हेतु माना जा सकता है?

हालांकि, मुख्य बिंदु वही है, जिसका उल्लेख निर्णय की दूसरी कंडिका में किया गया है।

निर्णय

14. विभाग के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि:

- * सुसंगत समय पर, 2004-नियम के उप-नियम 6(6)(i) में विशेष आर्थिक ज़ोन में विकासकर्ता को माल की निकासी सम्मिलित नहीं थी। इसे संशोधित नियमों द्वारा सम्मिलित किया गया था;
- * संशोधित नियमों के नियम 1 के उप-नियम (2) के तहत, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुआ;
- * संशोधित नियम राजपत्र में दिनांक 31.12.2008 को प्रकाशित हुए थे। वे उस समय लागू नहीं थे जब माल विशेष आर्थिक ज़ोन विकासकर्ताओं को भेजा गया था;
- * निर्धारित इस लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है।



15. जबकि, निर्धारिती के अधिवक्ता का तर्क है कि:

- * निर्यात किए जाने वाले माल पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता या उसे क्षमा कर दिया जाता है;
- * विशेष आर्थिक ज़ोन की इकाइयों और विकासकर्ताओं को भेजे गए माल को विधि के तहत निर्यात माना जाता है;
- * इकाइयाँ और विकासकर्ता एक ही प्रकार और एक ही वर्ग में हैं। प्रारंभ में निर्मित 2004-नियम ने उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया था और वे विभेदकारी होने के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते थे;
- * संशोधित नियमों ने इकाइयों और विकासकर्ताओं को समान स्थान दिया है तथा उन्हें समान वर्ग में रखा है। अब विभेद दूर कर दिया गया है;
- * संशोधित नियम स्पष्टीकारक हैं और इनका लाभ उस तिथि से उपलब्ध है जब 2004-नियम बनाए गए थे।

16. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए उत्पाद शुल्क की प्रकृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है।

कर और शुल्क के मध्य अंतर

17. अन्य प्रकार के अधिरोपणों से अलग 'कर' की आवश्यक विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन की अनिवार्य वसूली है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है और यह प्रदान की गई सेवाओं के बदले में नहीं है। यह करदाता को दिए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना लगाया जाता है(संदर्भ के लिए नीचे देखें)¹।

18. कर की अवधारणा को न्यायमूर्ति होम्स द्वारा अपने सचिव को दिए गए उत्तर से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। न्यायमूर्ति होम्स कर संबंधी संविधियों को यथावत् रखने के पक्षधर थे। एक बार उनके सचिव ने इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें अपना कर देना पसंद है क्योंकि वे इनके साथ अपनी सभ्यता खरीदते हैं। कर राष्ट्र को बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करते हैं और आवश्यक हैं।

19. ब्लैक लॉ डिक्शनरी करों और शुल्कों की व्याख्या इस प्रकार करती है:

1 आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास विरुद्ध श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मिंद्र तीर्था स्वामीयर; एआईआर 1954 एससी 282: (1954) एससीआर 1005 रतिलाल पानाचंद गांधी विरुद्ध बॉम्बे राज्य एआईआर 1954 एससी 388; (प्रतिभा प्रोसेसर्स व अन्य विरुद्ध भारत संघ व अन्य (1996) 11 एससीसी 101;



* कर शासन द्वारा सार्वजनिक राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तियों, संस्थाओं, लेन-देन या संपत्ति पर लगाया जाने वाला एक मौद्रिक प्रभार है। व्यापक रूप से, इस शब्द में लोगों के द्वारा व्यक्ति, संपत्ति, विशेषाधिकारों, व्यवसायों और उपभोग पर अधिरोपित सभी शासकीय शुल्क सम्मिलित हैं, और इसमें शुल्क, आयात कर और उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं। यद्यपि कर को अक्सर मौद्रिक प्रकृति का माना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका भुगतान धन में ही किया जाए;

* शुल्क एक वस्तु या लेनदेन पर अधिरोपित कर है, विशेष रूप से आयात पर। इस अर्थ में शुल्क वस्तुओं पर लगाया जाता है न कि व्यक्तियों पर।

20. इस प्रकार, वस्तुओं, माल और वित्तीय लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर, व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले कर से भिन्न होता है, जिसे सामान्यतः 'शुल्क' कहा जाता है; जबकि कर करदाताओं पर भी लगाया जाता है, जो व्यक्ति या विधिक संस्थाएं हो सकते हैं। शुल्क और कर का एक ही अर्थ और उद्देश्य है, यद्यपि शुल्क कर का ही एक उप-वर्ग है।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की प्रकृति

21. माल पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं। पारंपरिक रूप से दो शुल्क लगाए जाते थे: एक सीमा शुल्क और दूसरा उत्पाद शुल्क। यद्यपि, पिछले कुछ समय से अन्य प्रकार के शुल्क, जैसे कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग-रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क आदि भी लागू किए जा रहे हैं।

22. 'उत्पाद शुल्क' शब्द को संदिग्ध कहा गया है। अटलांटिक्स स्मोक शॉप्स लिमिटेड विरुद्ध कोलन एण्ड ए.जी. फॉर कनाडा-1943 एसी 550 के प्रकरण में, प्रिवी काउंसिल ने यह टिप्पणी की,

“'उत्पाद शुल्क' एक अस्पष्ट और कुछ सीमा तक संदिग्ध अर्थ वाला शब्द है....

यह शब्द सामान्यतः (यद्यपि सदैव नहीं) उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले निर्माण की प्रक्रिया में स्वदेश निर्मित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस दृष्टि से, उत्पाद शुल्क स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष है। इस शब्द के सटीक अनुप्रयोग के मार्ग में एक और कठिनाई यह है कि इस देश में



कई विविध करों को केवल इसलिए 'उत्पाद शुल्क' के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि वे सुविधा के लिए उत्पाद शुल्क बोर्ड के तंत्र के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं—उदाहरण के लिए, कुत्ता पालने पर लगने वाला कर।"

23. फिर भी, अन्य टीकाकारों और निर्णयों द्वारा इसे देश के भीतर उपभोग किए जाने वाले माल के निर्माण पर लगने वाले शुल्क के रूप में समझाया गया है। (**बोल्ड** उप-कडिकाएं हमारी हैं):

* स्टीफन ने अपनी पुस्तक 'लॉज़ आफ इंग्लैण्ड' (1928 संस्करण, खंड iv, पृष्ठ 420) में टीका करते हुए ब्लैकस्टोन का अनुसरण करते हुए कहा है, 'उत्पाद शुल्क वे शुल्क हैं जो संसद द्वारा **इस देश में** उत्पादित और **उपभोग की जाने वाली** वस्तुओं पर लगाए जाते हैं;'

* फ्लिंट विरूद्ध स्टोन ट्रेसी कंपनी 31 एससीटी 342, 220 यूएस 107 के मामले में, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, "'उत्पाद शुल्क" वस्तुओं के निर्माण, बिक्री या उपभोग पर, **देश के भीतर**, व्यवसायों को करने के लाइसेंस पर और कॉर्पोरेट विशेषाधिकारों पर लगाए गए कर हैं;'

* हैल्सबरी लॉज़ ऑफ इंग्लैण्ड (चतुर्थ संस्करण पुनर्मुद्रित खंड 12(2) कंडिका 1) इसे यह कहते हुए समझाता है कि 'ऐतिहासिक रूप से, सीमा शुल्क, कड़ाई से कहे तो राज्य द्वारा लगाए गए वे धन संबंधी शुल्क या पथकर हैं जो देश से निर्यात किए गए या देश में आयात किए गए माल पर देय होते हैं; और उनकी तुलना उत्पाद शुल्क से की जा सकती है, जो **देश के भीतर** उत्पादित और उपभोग किए जाने वाले माल पर देय होते हैं'।

24. इस प्रकार, उत्पाद शुल्क देश के भीतर उपयोग किए जाने वाले माल के निर्माण पर लगाया जाने वाला शुल्क है। जबकि, सीमा शुल्क अन्य देशों में निर्मित और देश के भीतर उपयोग के लिए लाए गए माल पर, या अन्य देशों में उपयोग के लिए देश से बाहर ले जाए जाने वाले माल पर लगने वाला शुल्क है।

25. हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के संबंधित शुल्क हैं। हमारे देश में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाने वाली विधि, अर्थात् उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (सीमा शुल्क अधिनियम) भी ऊपर वर्णित उसी पद्धति का पालन करते हैं।



उत्पाद शुल्क अधिनियम और 2002 के नियमों के प्रावधान

26. उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 प्रभारण धारा है और इसका शीर्षक 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क' है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में निर्दिष्ट उत्पादों के निर्माण पर शुल्क लगाने का प्रावधान करती है।

27. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 (2002 के नियम) यह प्रावधान करते हैं कि उत्पाद शुल्क का निर्धारण और संग्रहण कैसे किया जाना है:

* नियम 4 का शीर्षक 'निकासी पर देय शुल्क' है। यह प्रावधान करता है कि उत्पाद शुल्क माल की निकासी पर देय होगा;

* नियम 6 और 7 के शीर्षक क्रमशः 'शुल्क का निर्धारण' और 'अनंतिम निर्धारण' हैं। वे यह प्रावधान करते हैं कि उत्पाद शुल्क का निर्धारण किस प्रकार किया जाना आवश्यक है;

* नियम 17, 18 और 19 के शीर्षक क्रमशः 'सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए माल की निकासी', 'शुल्क की छूट', और 'शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात' हैं। ये तीन नियम मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसके द्वारा यदि माल का निर्यात किया जाना है, तो निर्यात के प्रमाण पर उन पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है या उन्हें क्षमा कर दिया जाता है, और यदि 100% निर्यात उन्मुख उपक्रम निर्यात के बजाय माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकालता है, तो वह उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधान

28. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 का शीर्षक 'परिभाषाएँ' है। धारा 2 की उप-धारा (11) {उप-धारा 2(11)} स्पष्ट करती है कि 'सीमा शुल्क क्षेत्र' क्या है। धारा 2 की उप-धारा (18) {उप-धारा 2(18)} स्पष्ट करती है कि 'निर्यात' क्या है। धारा 2 की उप-धारा (23) {उप-धारा 2(23)} स्पष्ट करती है कि 'आयात' क्या है। धारा 2 की उप-धारा (27) {उप-धारा 2(27)} स्पष्ट करती है कि 'भारत' क्या है।



29. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 का शीर्षक 'शुल्क योग्य माल' है और यह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक प्रभारण धारा है। यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सीमा शुल्क-टैरिफ अधिनियम) के तहत निर्दिष्ट माल के निर्यात के साथ-साथ आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान का प्रावधान करती है

30. उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2002-नियम और सीमा शुल्क अधिनियम में परिकल्पित सिद्धांत वही है जैसा कि पारंपरिक रूप से उत्पाद और सीमा शुल्क को समझा जाता था। इनके प्रावधानों से स्पष्ट है कि उत्पाद शुल्क माल के निर्माण पर देय है, लेकिन यह केवल उन वस्तुओं के संबंध में भुगतान किया जाना है जिनका उपभोग देश के भीतर किया जाना है, और ये माल निर्यात के लिए नहीं है। यदि माल का निर्यात किया जाना है, तो सीमा शुल्क- यदि यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम सह-पठित सीमा शुल्क अधिनियम के तहत उद्ग्रहणीय है- लगाया जाना है।

31. उपरोक्त रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, आइये हम विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम के उद्देश्य, विशेष आर्थिक ज़ोन में इकाइयों और विकासकर्ताओं को अनुमति, और 2004-नियम के नए प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i) का उद्देश्य समझें।

विशेष आर्थिक ज़ोन का उद्देश्य और विशेष आर्थिक ज़ोन को माल की निकासी 'निर्यात' है

32. भारत सरकार ने निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और बाधा रहित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज) स्थापित करने हेतु दिनांक 1.04.2000 को एक नीति लागू की। विशेष आर्थिक ज़ोन में वस्तुओं के निर्माण और सेवाओं के प्रावधान के लिए इकाइयाँ स्थापित की जा सकती थीं। ये इकाइयाँ शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक होनी चाहिए थीं और इन पर कोई पूर्व निर्धारित मूल्यवर्धन या न्यूनतम निर्यात प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताएँ लागू नहीं होनी थीं।

33. प्रारंभ में, उपर्युक्त नीति को लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया और अध्याय XA में धारा 76क से 76ज जोड़ी गई। बाद में, विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम लागू किया गया और सीमा शुल्क अधिनियम का अध्याय XA हटा दिया गया।

34. विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम की धारा 2 का शीर्षक 'परिभाषाएँ' है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:



* विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (छ) {उप-धारा 2(छ)} 'विकासकर्ता' को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति या राज्य, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के तहत अनुमोदन पत्र अनुदत्त किया गया हो और इसमें प्राधिकारी और सह-विकासकर्ता सम्मिलित हैं;

* धारा 2 की उपधारा (ड) {उपधारा 2(ड)} 'निर्यात' शब्द को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है घरेलू टैरिफ क्षेत्र से किसी इकाई या विकासकर्ता को माल की आपूर्ति करना या सेवाएं प्रदान करना।

* धारा 2 की उपधारा (यग) {उपधारा 2(यग)} में 'विद्यमान यूनिट' और 'यूनिट' शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है, एक यूनिट जिसे किसी उद्यमी द्वारा विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थापित किया गया है और इसमें एक विद्यमान यूनिट भी सम्मिलित है।

35. विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम की धारा 51 का शीर्षक है 'अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव'। इसमें प्रावधान है कि विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होगा। इसका अन्य किसी भी विधि पर अध्यारोही प्रभाव है और विवाद की स्थिति में, विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम ही अध्यारोही होगा।

36. विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर है और विशेष आर्थिक ज़ोन में इकाई या विकासकर्ता को आपूर्ति किया गया माल देश के बाहर नहीं जाता है, फिर भी विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम की धारा 2(ड) की परिभाषा के आलोक में, उन्हें 'निर्यात' माना जाना है।

37. वर्तमान प्रकरण में, निर्धारिती ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एक विकासकर्ता को माल की आपूर्ति की थी और विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम की उप-धारा 2(ड) के आलोक में इसे निर्यात माना जाना चाहिए। यदि इसे निर्यात माना जाता है, तो किसी भी अन्य विधि के तहत निर्यात को दिए जाने वाले सभी लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।

38. यदि सीमा शुल्क अधिनियम या उत्पाद शुल्क अधिनियम के सामान्य सिद्धांत और रुपरेखा को ध्यान में रखा जाए, जो किसी इकाई या विकासकर्ता को आपूर्ति की जाने वाली किसी भी वस्तु पर



कोई उत्पाद शुल्क नहीं होना चाहिए। जो सिद्धांत विशेष आर्थिक ज़ोन की इकाई पर लागू होता है, वही विकासकर्ता पर भी लागू होना चाहिए।

39. विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम इकाई और विकासकर्ता को एक ही धरातल पर रखता है। उत्पाद शुल्क अधिनियम या 2002-नियम के तहत विशेष आर्थिक ज़ोन इकाई के लिए उत्पन्न होने वाले दायित्व विकासकर्ता के लिए भी समान होने चाहिए; उनके पास समान उत्तरदायित्व और समान लाभ होने चाहिए। हालांकि, ऐसा नहीं था; प्रारंभ में बनाए गए 2004-नियम में कुछ भिन्नता थी।

40. निर्धारिती उन वस्तुओं का निर्माता है जो उत्पाद शुल्क-टैरिफ अधिनियम के तहत कर योग्य हैं। 2004-नियम का नियम 6 (देखें परिशिष्ट-1) 'शुल्क-योग्य और शुल्क-मुक्त माल के निर्माता और कर-योग्य तथा कर-मुक्त सेवाओं के प्रदाता के दायित्व' से संबंधित है। यह ऐसे माल के निर्माता पर कुछ दायित्व निर्धारित करता है। करदाता ऐसे ही एक निर्माता है। यह केवल निर्माता का कर योग्य माल नहीं अपितु कर मुक्त माल भी है।

41. 2004-नियम के नियम 6(2) सह-पठित नियम 6(3) यह उपबंधित करता है कि कर योग्य वस्तुओं के लिए अलग खाते रखे जाएं अथवा वैकल्पिक रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य का 10% {यह वर्ष 2004-नियम के उप-नियम 6(3)(ख) के अंतर्गत करदाता द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रकृति के लिए निर्धारित प्रतिशत है} जमा किया जाए। यह स्वीकार किया जाता है कि करदाता ने न तो 2004-नियम के उप-नियम 6(2) के अनुसार कर योग्य वस्तुओं के लिए अलग खाते रखे हैं और न ही 2004-नियम के उप-नियम 6(3) में उल्लिखित 10% जमा किया है।

42. प्रारंभ में, 2004-नियम (परिशिष्ट 1 देखें) के उप-नियम 6(6)(i) में निम्नानुसार था:

नियम 6. कर योग्य और करमुक्त वस्तुओं के निर्माता तथा कर योग्य और करमुक्त सेवाओं के प्रदाता का दायित्व:-

(6) उप-नियम (1), (2), (3) और (4) के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब उत्पाद शुल्क योग्य माल, बिना शुल्क भुगतान के हटाया गया हो, निम्नलिखित में से कोई एक हो:



(i) विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित इकाई को अनुमति दी गई;

.....

43. प्रारंभ में, उप-नियम 6(6)(i) यह उपबंधित करते थे कि 2004-नियम के उप-नियम 6(1) से 6(4) के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों को शुल्क का भुगतान किए बिना हटा दिया जाता है और विशेष आर्थिक ज़ोन में किसी इकाई को भेज दिया जाता है।

44. ध्यान देने योग्य सुसंगत बिंदु यह है कि 2004-नियम में, जैसा कि शुरू में परिकल्पना की गई थी, केवल विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित इकाई को माल की निकासी का लाभ प्रदान किया गया था, न कि विकासकर्ता को, हालांकि विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम के तहत विकासकर्ता और इकाई दोनों की स्थिति एक समान ही थी; दोनों एक ही वर्ग में थे; एक जैसा व्यवहार पाने के हकदार हैं। यह अनवधनता में हुई चूक प्रतीत होती है।

45. ऐसा प्रतीत होता है कि शासन को उपरोक्त गलती का एहसास हो गया था और 2004-नियम के नियम 6(6)(i) को निम्नलिखित नए उप-नियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था (देखें परिशिष्ट-2)।

"(i) किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित इकाई या किसी विशेष आर्थिक ज़ोन के विकासकर्ता को उनके अधिकृत संचालन के लिए अनुमति दी गई हो"।

46. संशोधित नियमों द्वारा नियम 6(6)(i) के प्रतिस्थापन के पश्चात्, विशेष आर्थिक ज़ोन में विकासकर्ता और इकाई के बीच का विभेद समाप्त हो गया है। दोनों समान स्तर पर हैं। यह अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है।

47. फिर भी, यदि विभाग का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए - कि संशोधित प्रतिस्थापित उप-नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, अर्थात् दिनांक 31.12.2008 से प्रवर्तन में आया, तो दिनांक 31.12.2008 से पहले विभेद विद्यमान रहेगा, यद्यपि इस तिथि के बाद यह विद्यमान नहीं रहेगा।



48. संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार केंद्र सरकार एक राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत इसे विभेद करने से प्रतिबंधित किया गया है। यदि विभाग का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार पर विभेद का आरोप लगेगा। क्या यही आशय है; क्या ऐसी उपधारणा की जा सकती है; क्या यही परिणाम होना चाहिए?

49. हमारी राय में उपरोक्त प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है - नहीं।

50. उत्पाद शुल्क की प्रकृति से यह स्पष्ट है, जैसा कि परंपरागत रूप से समझा जाता रहा है, यह शुल्क केवल उस माल के निर्माण पर लगता है जिनका उपभोग देश के भीतर किया जाना है, न कि निर्यात किए जाने वाले माल पर। यही उत्पाद शुल्क अधिनियम की रूपरेखा भी है। आपूर्ति के संबंध में यदि विशेष आर्थिक ज़ोन के विकासकर्ता को माल का निर्यात माना जाता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि यह लाभ क्यों नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि यह किसी गलती या अनजाने में हुई चूक के कारण था कि विकासकर्ता शब्द को आरंभ में 2004-नियम के उप-नियम 6(6)(i) में सम्मिलित नहीं किया गया था और विकासकर्ताओं और इकाइयों को समान व्यवहार नहीं दिया गया था।

51. यह व्याख्या का एक स्थापित नियम है कि नियम या अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होती है, न कि किसी पूर्व तिथि से। हालांकि, न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह ने अपनी पुस्तक 'वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत' के 12वें संस्करण, 2010 के पृष्ठ 1021 पर टिप्पणी की है,

'कोई नियम जो स्पष्ट रूप से भूतलक्षी नहीं है, उस अधिनियम के भूतलक्षी प्रभाव के कारण भूतलक्षी रूप से प्रभावी हो सकता है, जिसके संबंध में वह बनाया गया है।'

यही स्थिति यहाँ भी है। 2004-नियम के प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i) को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए ताकि विभेद न हो और उत्पाद शुल्क की प्रकृति के अनुरूप हो।

52. हमारी राय में, यह नियम स्पष्टीकरणात्मक है, एक स्पष्ट त्रुटि को सुधारता है, विभेदन को दूर करता है और उचित विधिक सिद्धांत प्रदान करता है। भविष्यलक्षी प्रवर्तन इसे संविधान के अनुच्छेद



14 के मापदंड पर संदिग्ध बना देगा। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, यह मानना उचित है कि प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i), 2004-नियम के लागू होने की तिथि से प्रभावी हो गया है।

निष्कर्ष

53. हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(क) उत्पाद शुल्क उस उत्पाद के निर्माण पर लगाया जाता है जिसका उपभोग देश में किया जाना है; जबकि सीमा शुल्क उस उत्पाद पर लगाया जाता है जिसका निर्माण देश के भीतर किया जाता है लेकिन जिसका उपयोग देश के बाहर किया जाना है, अर्थात् *निर्यात* किया जाता है, साथ ही साथ उस उत्पाद पर भी जिसका निर्माण देश के बाहर किया जाता है और उपयोग के लिए देश में लाया जाता है, अर्थात् *आयात* किया जाता है;

(ख) संशोधित नियम केवल स्पष्टीकरणात्मक है, स्पष्ट त्रुटियों को सुधारता है, और विशेष आर्थिक ज़ोन में विकासकर्ताओं और इकाइयों के मध्य विभेद को दूर करता है। यह केवल विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम के तहत निर्यात योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क ना लगाने की विद्यमान विधि को स्पष्ट करता है या व्याख्या करता है।

(ग) प्रतिस्थापित उप-नियम 6(6)(i), 2004-नियम के लागू होने की तिथि से लागू होगा।

54. उपरोक्त के आलोक में, विधि के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न विभाग के विरुद्ध निर्णित किए जाते हैं। अपील में कोई बल नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

हस्ताक्षर/-

मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षर/-

प्रीतिकर दिवाकर

न्यायमूर्ति



परिशिष्ट-1

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004-नियम का नियम 6 जैसा कि यह पूर्व में तैयार किया गया था निम्नानुसार था-

नियम 6: शुल्क-योग्य और शुल्क-मुक्त माल के निर्माता और कर-योग्य तथा कर-मुक्त सेवाओं के प्रदाता के दायित्व-

(1) शुल्क-मुक्त माल तथा कर-मुक्त सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय उप-नियम (2) में उल्लिखित परिस्थितियों के।

²[परंतु यह कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12कक में निर्दिष्ट कार्य कर्ता को इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट से उस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा कि उक्त इनपुट का उपयोग उस नियम के उपबंधों के तहत शुल्क भुगतान के बिना निकासी किए गए माल के निर्माण में किया जाता है।]

(2) जहाँ कोई निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता किसी इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाता है, ³[***], और ऐसे अंतिम उत्पादों का निर्माण करता है या ऐसी आउटपुट सेवा प्रदान करता है जो शुल्क या कर के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रभार्य हैं, तो निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता शुल्क योग्य अंतिम उत्पादों के निर्माण या आउटपुट सेवा प्रदान करने में उपयोग के लिए इनपुट और इनपुट सेवा की प्राप्ति, खपत और इन्वेंट्री के लिए और शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण या आउटपुट सेवा प्रदान करने में उपयोग के लिए इनपुट की मात्रा जिस पर सेवा कर देय है, के लिए अलग खाते रखेगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता, जो अलग खाते न रखने का विकल्प चुनता है, उसे निम्नलिखित में से किसी एक शर्त का पालन करना होगा, जो उस पर लागू हो, अर्थात्:-

(क) यदि छूट प्राप्त वस्तुएँ निम्नलिखित हैं-

(i) उत्पाद शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक क्र.22.04 के अंतर्गत

आने वाली वस्तुएँ (जिसे आगे इस नियम में कथित प्रथम अनुसूची कहा गया है);

² अधिसूचना संख्या 13/2005-सी.ई.(एन.टी.), दिनांक 1.3.2005 द्वारा अंतर्विष्ट

³ अधिसूचना संख्या 27/2005-सी.ई. (एन.टी.), दिनांक 16.05.2005 द्वारा विलोपित



(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला कम सल्फर वाला भारी स्टॉक (एलएसएचएस) जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है;

(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला नेफ्था (आरएन) जिसका उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जाता है;

(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला नेफ्था (आरएन) और भट्टी का तेल जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है;

(v) अखबारी कागज़, रोल या शीट में, उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्षक क्र.48.01 के अंतर्गत आता है;

(vi) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले अंतिम उत्पाद;

(vii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से किसी के तहत रक्षा कर्मियों को, रक्षा परियोजनाओं के लिए, या रक्षा मंत्रालय को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए आपूर्ति की गई वस्तुएं,

अर्थात्:-


(1) क्र. 70/92-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांकित 17 जून 1992, जी.एस.आर. 505(ई), दिनांकित 17 जून 1992;

(2) क्र. 62/95-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांकित 16 मार्च 1995, जी.एस.आर. 254(ई), दिनांकित 16 मार्च 1995।

(3) क्र. 63/95-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांकित 16 मार्च 1995, जी.एस.आर. 255(ई), दिनांकित 16 मार्च 1995;

(4) क्र.64/95-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांकित 16 मार्च 1995, जी.एस.आर. 256(ई), दिनांकित 16 मार्च 1995,

(viii) उक्त प्रथम अनुसूची की शुल्क मद 2711 12 00, 2711 13 00 और 2711 19 00 के तहत आने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)]





(ix) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्षक 2710 के अंतर्गत आने वाला केरोसिन, जिसका अंतिम विक्रय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाना है।]

निर्माता को कारखाने से अंतिम उत्पादों की निकासी के समय, ऐसे अंतिम उत्पादों के निर्माण में या उससे संबंधित उपयोग किए गए इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए देय सैनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करना होगा;

(ख) यदि छूट प्राप्त माल शर्त में वर्णित माल के अलावा अन्य हैं, तो निर्माता को छूट प्राप्त अंतिम उत्पाद की कुल कीमत के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें बिक्री कर और अन्य कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं हैं, जो निर्माता द्वारा कारखाने से माल की निकासी के समय ऐसे माल की बिक्री के लिए लगाए जाते हैं;

(ग) आउटपुट सेवा प्रदाता कर योग्य आउटपुट सेवा पर देय सेवा कर की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक राशि तक ही क्रेडिट का उपयोग करेगा।

स्पष्टीकरण I. शर्तों (क) और (ख) में उल्लिखित राशि निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा सैनवैट क्रेडिट डेबिट करके या अन्यथा भुगतान की जाएगी।

स्पष्टीकरण II.- यदि निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे ब्याज सहित उसी प्रकार से वसूल किया जाएगा, जैसा कि नियम 14 में गलत तरीके से लिए गए सैनवैट क्रेडिट की वसूली के लिए प्रावधान किया गया है।

⁴[**स्पष्टीकरण III.-** संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त वस्तुओं या छूट प्राप्त सेवाओं के निर्माण में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।]

(4) पूंजीगत वस्तुओं पर कोई सैनवैट क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, जिनका उपयोग विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में किया जाता है, सिवाय उन अंतिम उत्पादों के जो किसी अधिसूचना के तहत उन पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से मुक्त हैं, जहां किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा के आधार पर छूट दी जाती है।

(5) उप-नियम (1), (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (छ), (त), (थ), (द), (फ), (ब), (यक), (यड), (यत), (यम), (ययघ), (ययछ), (ययज), (ययझ), (ययट), (ययथ) और (ययद) में निर्दिष्ट कर योग्य सेवा पर भुगतान किए गए संपूर्ण सेवा कर का वित्त



अधिनियम के तहत ऐसी सेवा की अनुमति तभी दी जाएगी जब इसका उपयोग विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के संबंध में किया जाता हो।

(6) उप-नियम (1), (2), (3) और (4) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब उत्पाद शुल्क योग्य माल, बिना शुल्क भुगतान के हटाया गया हो, निम्नलिखित में से कोई एक हो:

- (i) किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित इकाई को अनुमति दी गई हो; या
- (ii) शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम को अनुमति दी गई; या
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में स्थित किसी यूनिट को अनुमति दी गई हो; या
- (iv) संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, उनके आधिकारिक उपयोग के लिए, या उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 108/95-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 28 अगस्त, 1995, संख्या जी.एस.आर.602(ई), दिनांक 28 अगस्त, 1995 के तहत शुल्क से छूट उपलब्ध है; या
- (v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार बांड के तहत निर्यात के लिए अनुमति प्राप्त; या
- (vi) तांबा या जस्ता के गलाने के दौरान उत्पन्न होने वाला सोना या चांदी जो उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आता हो; या
- ⁵[(vii) वे सभी वस्तुएँ जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (51 वर्ष 1975) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क और उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से मुक्त हैं, जब उन्हें भारत में आयात किया जाता है और अधिसूचना संख्या 6/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च, 2002 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।]



परिशिष्ट 2

संशोधित नियम इस प्रकार हैं

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 50/2008-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2008

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 वर्ष 1944) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (32 वर्ष 1994) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सैनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को सैनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। (जोर दिया गया)

2. सैनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के उप-नियम (6) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित इकाई या किसी विशेष आर्थिक ज़ोन के विकासकर्ता को उनके अधिकृत संचालन के लिए अनुमति दी गई हो; या”।

**शीर्षक**

सेनवैट नियमों के 6(6)(i) में प्रतिस्थापन इसके लागू होने की तिथि से प्रवर्तित होता है।

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया **माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv VARTIKA VERMA

